3380/A०
दि० 12/11/2026

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषयः– **विदेश यात्रा हेतु सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान करने के संबंध में।**

झारखण्ड सेवा संहिता के परिशिष्ट–13 की कंडिका–4 में सरकारी सेवकों की विदेश यात्रा के संबंध में निम्नवत् उल्लिखित है :–

"जो सरकारी सेवक आकस्मिक छुट्टी या विश्रामावकाश में अथवा अवकाश में अनुपस्थिति की इजाजत लेकर अधिष्ठान छोड़ना चाहे, उसे अपने आवेदन में अपना पता दे देना चाहिए, जहाँ वह इस छुट्टी में रहेगा ।

कोई सरकारी सेवक ऐसी छुट्टी में, यदि वह राजपत्रित सरकारी सेवक हो तो सरकार की और यदि कोई अन्य हो, तो मंजूरी देने वाली प्राधिकरी की खास अनुज्ञा के बिना भारत से बाहर नहीं जा सकता ।"

2. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के परिपत्र सं0–1348, दिनांक 06.08.2015 के द्वारा भारत के बाहर सेमिनार/विचार गोष्ठी, कार्यशाला, उच्चतर अध्ययन या प्रशिक्षण आदि में भाग लेने हेतु सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विदेश परिभ्रमण से संबंधित विधिवत गठित प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात स्वीकृति की शक्ति माननीय मुख्यमंत्री को प्रत्यायोजित की गयी।

3. झारखण्ड राज्य अंतर्गत विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को देश से बाहर यात्रा की अनुमति अधिकांश मामलों में कार्यपालिका के उच्चतम स्तर माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से अनुमोदन दिये जाने के कारण अनावश्यक कार्य बोझ बढ़ता है, साथ ही समय भी लगने की संभावना बढ़ती है।

अतएव उक्त वर्णित स्थिति में झारखण्ड राज्य अंतर्गत विभिन्न स्तर के सरकारी सेवकों के विदेश भ्रमण संबंधी स्वीकृति हेतु अलग–अलग सक्षम प्राधिकार निर्धारित किए जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को छोड़कर झारखण्ड राज्य कर्मियों के विदेश भ्रमण हेतु अनुमति के लिए निम्नवत् प्राधिकार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है :–

क्र० सं०	सरकारी कर्मी की श्रेणी	विदेश यात्रा की अनुमति स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार
01.	वर्ग 'ग' एवं 'घ' (निजी व्यय पर)	उपार्जित अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार

02.	वर्ग 'क' एवं 'ख' (विभागाध्यक्ष को छोड़कर) (निजी व्यय पर)	विभागीय मंत्री
03.	वर्ग 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के सरकारी कर्मी (विभागाध्यक्ष को छोड़कर) द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेना।	विभागीय मंत्री
04.	विभागाध्यक्ष (निजी व्यय पर)	मुख्यमंत्री (मुख्य सचिव के माध्यम से)
05.	विदेश यात्रा के अन्य सभी मामले (यथा सरकारी व्यय/आंशिक सरकारी व्यय/बाह्य स्त्रोत द्वारा व्यय पर किसी सेमिनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण में भाग लेना, विदेश में उच्चतर अध्ययन आदि)	मुख्यमंत्री (मुख्य सचिव के माध्यम से)

उक्त संदर्भ में संबंधित कर्मी द्वारा संलग्न प्रपत्र (Annexure-A) में आवेदन करते हुए उक्त के साथ अनुलग्नक–ख प्रपत्र में स्व–घोषणा पत्र समर्पित किया जाएगा कि उनके विरूद्ध कोई Criminal या Vigilance Case लंबित नहीं है। स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार को यदि आवश्यक लगे तो Police या Vigilance Clearance प्राप्त कर सकते है। Police या Vigilance Clearance प्राप्त करते हुए स्वीकृति/अस्वीकृति संबंधी निर्णय से 30 दिनों के अन्दर अवगत कराया जाएगा।

5. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् के दिनांक 27.10.2026 की बैठक में मद संख्या 08 के रुप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

06/11/26

(प्रशांत कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 34/विविध/विदेश यात्रा/02/24/वित्त 3380/A, राँची, दिनांक– 12/11/2026

प्रतिलिपिः– माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय/ महाधिवक्ता, झारखण्ड /मुख्य सचिव के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/11/26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 34 / विविध / विदेश यात्रा / 02 / 24 / वित्त .....3380/A°....., राँची, दिनांक– 12/11/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/11/26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 34 / विविध / विदेश यात्रा / 02 / 24 / वित्त .....3380/A°....., राँची, दिनांक– 12/11/2026

प्रतिलिपिः– सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को ई–गजट के रुप में राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

06/11/26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 34 / विविध / विदेश यात्रा / 02 / 24 / वित्त .....3380/A°....., राँची, दिनांक– 12/11/2026

प्रतिलिपिः– उप सचिव, पी0एम0यू0 कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निमित्त प्रेषित।

06/11/26.

सरकार के सचिव।

ANNEXURE-A

PROFORMA FOR TAKING PRIOR PERMISSION BY GOVERNMENT SERVANTS FOR VISITS ABROAD

Part A – To be filled by the Government servant applying for visit abroad

1. Name and Designation :

2. Pay :

3. Ministry/ Department :

4. Passport No. :

5. Details of private foreign travels to be undertaken;

Period of travel	Name of foreign countries to be visited	Purpose	Estimated expenditure (travel, board, lodging, visa, misc., etc.)	Source of funds

6. Details of private foreign travel undertaken during the last four years

Period of travel	Name of foreign countries visited	Purpose

Signature

Date:

Name and Designation

Part B – To be filled by the Administration

1. Whether the Government servant is handling large amounts of government cash.

2. Whether the Government servant is dealing with secret/ top secret matters.

3. Whether any case involving serious charges against the Government servant is under investigation (Details)

4. Whether any disciplinary proceeding/ criminal case is pending against the Government servant (Details).

Signature

Date:

Name and Designation

अनुलग्नक–ख

स्व–घोषणा पत्र

1. मैं घोषणा करता करती हूँ कि :–

   क. मेरे विरूद्ध कोई न्यायिक अथवा निगरानी मुकदमा लंबित नंही है ।

   ख. मेरे विदेश यात्रा के दौरान में किसी प्रकार के सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं रहूँगा ।

   ग. स्वीकृत अवकाश अवधि के उपरांत में विदेश में नहीं रहूँगा ।

2. मुझे ज्ञात है किः–

   क. सरकारी कार्य अथवा निजी कारणों से की जा रही विदेश यात्रा के दौरान मुझ पर सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधान प्रभावी रहेंगे ।

   ख. उक्त प्रावधानों का उल्लंघन देश या विदेश में करने पर में समान रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु जिम्मेदार रहूँगा ।

स्थानः
दिनांकः

(आवेदक का हस्ताक्षर)
नामः–
पदनामः–
कार्यालयः–